

मध्य प्रदेश शासन  
उच्च शिक्षा विभाग  
:: मंत्रालय ::


// आदेश //

भोपाल, दिनांक: 17/11/2020

क्रमांक: एफ.17-23/2017/38-1 :: डॉ. विशाल कदम, सहायक प्राध्यापक, वनस्पतिशास्त्र वृदासहाय शासकीय महाविद्यालय, डबरा जिला ग्वालियर को जोधपुर नेशनल यूनिवर्सिटी, राजस्थान से फर्जी पी.एच.डी. डिग्री प्राप्त कर कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर शासन को भ्रमित करते हुए मध्यप्रदेश के महाविद्यालय में पदस्थ होकर वेतन का सदोष लाभ प्राप्त करने से इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 19/02/2020 द्वारा निलंबित किया गया था।

2/ डॉ. कदम द्वारा उक्त आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत अभ्यावेदन पर समग्र विचारोपरांत राज्य शासन एतद् द्वारा डॉ. विशाल कदम, सहायक प्राध्यापक, वनस्पतिशास्त्र को निलंबन से बहाल करते हुए यथावत वृदासहाय शासकीय महाविद्यालय, डबरा जिला ग्वालियर पदस्थ किया जाता है। निलंबन अवधि का निराकरण विभागीय जाँच में लिए गए निर्णय उपरांत किया जाएगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार


  
( श्वेता पवार )  
उप सचिव

म.प्र.शासन, उच्च शिक्षा विभाग  
भोपाल, दिनांक: 17/11/2020

पृष्ठा.क्रमांक: एफ.17-23/2017/38-1,  
प्रतिलिपि:-

- 1/ विशेष सहायक, प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, भोपाल म.प्र.
- 2/ महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर म.प्र.
- 3/ आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, सतपुडा भवन, भोपाल म.प्र.
- 4/ जिला कोषालय अधिकारी, जिला ग्वालियर / सागर म.प्र.
- 5/ क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, ग्वालियर / सागर संभाग म.प्र.
- 6/ प्राचार्य, वृदासहाय शासकीय महाविद्यालय, डबरा जिला ग्वालियर म.प्र.
- 7/ डॉ. विशाल कदम, सहायक प्राध्यापक, वनस्पतिशास्त्र वृदासहाय शासकीय महाविद्यालय, डबरा जिला ग्वालियर म.प्र.
- 8/ आर्डर बुक

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

  
उप सचिव

म.प्र.शासन, उच्च शिक्षा विभाग